न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र. 3806–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक निरंक पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 267/अ–6/2012–13

.....

ज्योति पति राजू पुनीवाला
निवासी महाजनापेठ शहर
तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0.

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती कौशल्याबाई बेवा धन्नु पाटील
2–किरण पिता धन्नु पाटील
3–स्वप्निल पिता धन्नु पाटील
4–रीता पुत्री धन्नु पाटील
सभी निवासी ग्राम बडझिरी तहसील व जिला
बुरहानपुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक–आवेदिका
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक निरंक के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 267/अ–6/2012–13 में दिनांक 16–8–2013 को आदेश पारित कर ग्राम बडझिरी की कृषि भूमि सर्वे कमांक 422/1 व 3 रकबा 0.59 एवं 1.40

हेक्टेयर पर मृतक भूमिस्वामी धन्नु के स्थान पर आवेदिका ज्योतिबाई का नामान्तरण व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत किया गया । तदोपरांत अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील कमांक 42–ए/2013 प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें दिनांक 30–8–2013 की तिथि नियत है । तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, अतः उक्त एकपक्षीय आदेश निरस्त किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–8–2013 के पुनर्विलोकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–8–2013 को विधिवत् व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसके पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध केवल अपील प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण पुनर्विलोकन की अनुमति देना विधिक कार्यवाही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति किस दिनांक को दी गई है, इसका भी कोई उल्लेख आदेशिका में नहीं किया गया है अर्थात बिना दिनांक के पुनर्विलोकन संबंधी आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में जो भी आदेश पारित होगा, उभयपक्ष सहित राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होगा । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुने

पुनर्विलोकन की अनुमति दी है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का अवैधानिक आदेश है।

तर्क के समर्थन में वर्ष 2000 आर.एन. 161 व 76, 2009 आर.एन. 96 एवं 1997 आर.एन. 127 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 10–7–2013 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 6–5–2014 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय का आदेश स्थगित किया गया है, अतः व्यवहार न्यायालय द्वारा अपील में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय से चाही गई है, जिसे देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की ओर से झूठी एवं गलत जानकारी देकर आदेश पारित कराना पाते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

(3) आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और ऋण पुस्तिका अनावेदक कमांक 1 के पास है और बिजली का बिल भी उन्हीं के द्वारा अदा किया जा रहा है । आवेदिका के द्वारा येन–केन–प्रकारेण गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया है, जिसे यथावत् रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति किस दिनांक को दी गई है, पुनर्विलोकन अनुमति आदेश में दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित पुनर्विलोकन अनुमति आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर